उपलब्धि | देहरादून में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जबलपुर के खिलाड़ी करेंगे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व

मप्र की आइस स्केटिंग टीम में सभी खिलाड़ी संस्कारधानी के

नवभारत, जबलपुर। देहरादून में होने वाली राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश की चार सदस्यीय विशेष टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में शामिल सभी खिलाड़ी जबलपुर के हैं, जिनमें ईशान गुप्ता, उत्कर्ष कुमार जैन, श्रेष्ठ मिश्रा और राघव वर्मा शामिल हैं। ये खिलाड़ी विशेष ओलंपिक भारत (मध्य प्रदेश) की ओर से राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम ने मुख्य कोच रामकिशोर सोनी और असिस्टेंट स्पोर्ट्स कोच अमर कदम के तकनीकी मार्गदर्शन में कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर राज्य की टीम में यह स्थान बनाया है।

खिलाड़ियों से पदक जीतने की उम्मीद

टीम प्रबंधन को पूरा विश्वास है कि खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक जीतकर मध्य प्रदेश और जबलपुर का नाम रोशन करेंगे। वेलकम टू स्पेशल चाइल्ड स्पोर्ट्स अकादमी, जबलपुर की संरक्षिका डॉ. मधूलिका त्रिपाठी और ज्योत्सना सिंह ठाकुर ने चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल प्रदर्शन की कामना की है।

खेल संगठनों और अधिकारियों ने दी बधाई

इस अवसर पर विशेष ओलंपिक भारत (मध्य प्रदेश) के क्षेत्रीय निदेशक दीपांकर बेनर्जी, खेल निदेशक एहतेशाम उद्दीन और सहायक खेल निदेशक राजेंद्र बारस्कर ने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बधाई देते हुए अग्रिम शुभकामनाएं दीं। विशेष खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के चयन से शहर के खेल प्रेमियों, खेल संगठनों और नागरिकों में हर्ष का माहौल है और सभी ने टीम की सफलता की कामना की है।

भरत सिंह यादव के जन्मदिन पर लगा नि :शुल्क स्वास्थ्य शिविर

नवभारत, जबलपुर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह यादव के जन्मदिन पर समाजसेवा, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण को समर्पित विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में नागरिकों के लिए नेत्र, शुगर, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग की जांच की गई, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पवन स्थापक और मेट्रो सिटी हॉस्पिटल की टीम ने सेवाएं दीं। वक्ताओं ने नर्मदा संरक्षण, परियट नाले के शुद्धिकरण के लिए गोबर गैस प्लांट की स्थापना और पर्यावरण संवर्धन के लिए उनके कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही बीमार व असहाय गायों के इलाज के लिए उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई गौ-एम्बुलेंस का भी उल्लेख किया गया।

ये रहे उपस्थित

इस दौरान पूर्व महापौर प्रभात साहू, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल, जेडीए अध्यक्ष संदीप जैन, शरद अग्रवाल, अजय तिवारी, राकेश अग्रवाल, राजीव राठौर, रिजवान अंसारी, प्रदीप यादव, विवेक पटेल, इंद्र कुमार पटेल, निलेश रावल, शिव यादव और प्रदीप यादव उपस्थित रहे।

पेट्रोल-डीजल के दामों में की जाए कमी, ताकि मंहगाई से मिले राहत

नवभारत, कटनी। अखिल भारतीय हिन्द क्रांति पार्टी, मध्यप्रदेश ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को संयुक्त कलेक्टर जितेंद्र कुमार पटेल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में ईंधन और एलपीजी के दाम कम नहीं किए जाने पर चिंता जताई गई। प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पन्नालाल त्रिपाठी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम नागरिकों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में तत्काल कमी की जाए, ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। पार्टी ने कहा कि यदि ईंधन के दाम कम किए जाते हैं तो परिवहन लागत घटेगी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की कि ज्ञापन राष्ट्रपति एवं केंद्र सरकार तक शीघ्र पहुंचाया जाए, जिससे आम जनता के हित में आवश्यक निर्णय लिया जा सके। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश अध्यक्ष पन्नालाल त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष बिधी प्रकोष्ठ राजकुमार बक्शी, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग फूलचंद पटेल, प्रदेश सचिव अर्चना सिंह, जिला विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष ब्रज पांडे, महेंद्र पटेल, जिला उपाध्यक्ष रमेश तिवारी, जिला अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अनामिका सतनामी, युवाप्रदेश अध्यक्ष बलराम श्रीवास्तव, कैलाश जायसवाल जिला महामंत्री, आकांक्षा सेन सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।

आंनगबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए 13 तक आवेदन

नवभारत, कटनी। बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 9 और सहायिकाओं के 15 पदों के लिए अस्थायी और मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए 13 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बाल विकास परियोजना कटनी शहरी में 4 सहायिका, मुड़वारा में 1 कार्यकर्ता, 1 सहायिका, बहोरीबंद में 1 कार्यकर्ता, 3 सहायिका, रीठी में 2 कार्यकर्ता, 1 सहायिका, ढीमरखेड़ा में 4 कार्यकर्ता, 2 सहायिका, विजयराघवगढ़ में 3 सहायिका, बड़वारा में 1 कार्यकर्ता 1 सहायिका के लिए भर्ती की जाएगी।

पीली कोठी मैदान में रखे थे चुराये हुए आधा दर्जन टूव्हीलर

शातिर वाहन चोर गिरफ्तार
7 दोपहिया वाहन जब्त

नवभारत, जबलपुर। ओमती पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से एक बाइक जब्त की गई जब उससे सघन पूछताछ की गई तो उसने शहर से लेकर ग्रामीण अंचल हुई वाहन चोरियों का खुलासा किया बल्कि पीली कोठी मैदान में चुराये हुए आधा दर्जन वाहन रखना बताया जिसके बाद पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया। आरोपी के कब्जे से चुराये हुए सात दुपहिया वाहन जब्त किए गए है। पकड़ा गया आरोपी पलक झपकते ही टूव्हीलर पार कर देता था।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष जाखड़ ने बताया कि पुल नंबर 3 के पास ओमती पुलिस ने घेराबंदी कर पवन पटेल पिता सीताराम पटेल (24) निवासी शारदा चौक अन्ना मोहल्ला गढ़ा को दबोचा। जिसने पूछताछ में सिहोरा, जिलहरीघाट, बल्देवबाग, दरहाई चौक कोतवाली, दमोह नाका, खारीघाट, ब्लूमून होटल के पास से वाहनों को चोरी करना स्वीकार किया। सिहोरा से चुराई हुई मोटर सायकिल को वह चला रहा है और चुराई हुई अन्य 6 वाहन बेचने के उद्देश्य से पीली कोठी मैदान में छिपाकर रखना बताया । आरोपी के कब्जे एवं निशादेही पर छिपाकर रखे चुराये हुये कुल 7 दुपहिया वाहन जप्त किए गए । गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि पकडा गया आरोपी अपराधी प्रवृत्ति का है जिसके खिलाफ शासकीय कार्य मे बांधा, चोरी, मारपीट , जुआ एक्ट के 6 अपराध दर्ज है।

एक नजर में

बीजाडांडी पुलिस ने छात्रों को बताए साइबर सुरक्षा के उपाय

बीजाडांडी। बीजाडांडी थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बीजाडांडी पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस टीम ग्राम कालपी पहुंची, जहां कालपी क्रीड़ा परिसर में छात्रों और विद्यालय के स्टाफ को साइबर ठगी से बचाव के आसान तरीके और सतर्कता बरतने के उपाय बताए गए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी शेयर न करने और संदिग्ध कॉल से सावधान रहने की हिदायत दी। अंत में उपस्थित छात्रों और शाला स्टाफ को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार और साइबर सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई।

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश

मंडला। कलेक्टर कार्यालय मंडला द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारी पात्र हितग्राहियों के दावों का समय-सीमा में परीक्षण एवं निराकरण सुनिश्चित करें। इस संबंध में सहायक आयुक्त कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की आवश्यक बैठक आयोजित कर लम्बित दावों के परीक्षण तथा नियमानुसार समुचित अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में सहायक आयुक्त डॉ. अरूण शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2026-27 के दौरान प्राप्त दावों के साथ-साथ पूर्व से लंबित प्रकरणों की भी प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

ग्राम देवगांव में किराया वृद्धि के विरोध में चक्काजाम

नवभारत, मंडला। मंडला जिले के ग्राम देवगांव में ग्रामीणों का आक्रोश उस समय सड़कों पर देखने को मिला, जब बढ़े हुए यात्री किराए के विरोध में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इस प्रदर्शन के कारण मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते निजी वाहन संचालकों ने मनमाना किराया बढ़ा दिया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करने वाले मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है।

बस चालकों से ज्यादा सरकार जिम्मेदार

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने एक परिपक्व और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि केवल वाहन मालिकों को दोष देना सही नहीं है। जब ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं और वाहनों का रखरखाव महंगा हो चुका है, तो किराए में वृद्धि होना स्वाभाविक है। ग्रामीणों का मानना है कि इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वही महंगाई पर नियंत्रण पाने में विफल साबित हो रही है।

उग्र आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने प्रशासन और शासन को चेतावनी दी है कि यदि किराया वृद्धि और महंगाई का जल्द कोई स्थाई समाधान नहीं निकाला गया, तो इस आंदोलन को जिले भर में और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा।

नैनपुर के मुख्य मार्ग पर भीषण जाम से चरमराई यातायात व्यवस्था

नवभारत,नैनपुर। नैनपुर नगर के मुख्य मार्ग पर प्रतिदिन लग रहा भीषण जाम स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और राहगीरों के लिए मुसीबत बन चुका है। खास तौर पर थांवर नदी के पुल से लेकर निवारी तिराहा तक दोनों ओर घंटों रेंगते वाहनों, फुटपाथों पर अतिक्रमण और सड़क तक बिखरे कबाड़ के कारण लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। इस गंभीर समस्या के बावजूद संबंधित विभाग मूकदर्शक बने हुए हैं, जो नवागत थाना प्रभारी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

बताया गया कि नैनपुर के मुख्य मार्ग पर दुकानदारों द्वारा सड़कों व पेवर ब्लॉक फुटपाथों तक अवैध रूप से सामान फैलाकर कब्जा कर लिया गया है। नो-पार्किंग जोन होने के बावजूद बेतरतीब तरीके से दोपहिया व चारपहिया वाहन पार्क किए जा रहे हैं। व्यस्ततम चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस या होमगार्ड के जवानों की पर्याप्त तैनाती न होने से व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

रोज-रोज के जाम से स्थानीय व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं एम्बुलेंस, स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुँचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि पूर्व में कई हादसों के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

सरकारी नाले में मिट्टी डालकर किया जा रहा कब्जा

नवभारत, ढीमरखेड़ा। जिले के ढीमरखेड़ा मुख्यालय में शासकीय भूमि और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था पर कथित अवैध अतिक्रमण का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां राजस्व अभिलेखों में दर्ज शासकीय नाले पर मिट्टी डालकर करीब 65 फुट लंबे हिस्से को समतल कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खुलेआम किए जा रहहे अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा क्रमांक 97 शासकीय नाला है, जहां किसी भी प्रकार का निजी निर्माण पूरी तरह गैरकानूनी है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पुराने बरसाती पानी की निकासी वाले इस मार्ग पर अब मिट्टी का अंबार लगा है। इससे आगामी वर्षा ऋतु में क्षेत्र में जलभराव और बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति निर्मित होने की आशंका बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि तहसील और राजस्व विभाग के कार्यालयों के समीप ही यह निर्माण कार्य चल रहा था, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। ढीमरखेड़ा में पिछले कुछ वर्षों से मुख्य मार्गों के किनारे और सार्वजनिक जमीनों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं, जिन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं इस मामले में ढीमरखेड़ा तहसीलदार नितिन पटैल का कहना है कि खसरा क्रमांक 97 राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है और वहां किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है।

M.P. POORV KSHETRA VIDYUT VITARAN CO.LTD.
Regd. Office - Block No.8, 3rd Floor, Shakti Bhawan, Rampur, Jabalpur-482008 (M.P.)
OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER (O&M) MPPKVVCL, MANDLA
Website : www.mpez.co.in, email : se9449500@yahoo.co.in, Phone : 07642-250209, 250902
1912

No. SEM/O&M/PUR/TS/1634 **NOTICE INVITING TENDER** Jabalpur, Dtd. 09/07/2026

Online Tenders are invited for following items work under (O&M) Circle MPPKVVCL Mandla:-

Sr. No.	T.S. No. (For e-Tendering) DISCOM-EZ/PUR	Particular of work	Approx. Value (Rs.In Lakh)	Tender Fee (in Rs.)	Due date & times of Opening of Tender Online from14.00 Hrs
1	TS.NO.SEM/O&M/PUR/ TS/1634 Date 09/07/2026 (e-Tender No. 2026_PKVVC_520282_1	Survey, installation, testing and commissioning of new 5 MVA 33/11 Kv Pipariya Substation under different schemes in the area of O&M Circle MPPKVVCL,Mandla	95.24	Rs.2360/- (Rs.2000+ GST 18% Rs.360/-)	29/07/2026

*other details can be seen in complete tender documents available on e-portal https://mptenders.gov.in.
SAVE ENERGY FOR BETTER TOMORROW S.E.(O&M) MPPKVVCL, Mandla

पश्चिम मध्य रेल
जबलपुर मंडल-वाणिज्य विभाग

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल जबलपुर, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु निर्धारित ई-बोली आमंत्रित करता है। **Category (क्र.सं.1 से 13 के लिए)** -पार्सल, **Catalogue No. (क्र.सं.01 से 13 के लिए)**-JBP-C-PLS-26B, **Auction Start (क्र.सं.01 से 13 के लिए)** -22.07.2026 (13:00 hrs.), **क्र.सं.1- Lot No.**-20152-SLR-F1-REWA-HDP-26-1,**Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए। **Auction End**-22.07.2026 (13:30 hrs.), **क्र.सं.2- Lot No.**-12181-SLR-F1-JBP-All-26-1,**Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए। **Auction End**-22.07.2026 (13:40 hrs.), **क्र.सं.3- Lot No.**-20906-SLR-F1-REWA-EKNR-26-1,**Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए। **Auction End**-22.07.2026 (13:50 hrs.), **क्र.सं.4- Lot No.**-20162-SLR-F1-JBP-PUNE-26-1, **Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए।**Auction End**-22.07.2026 (14:00 hrs.), **क्र.सं.5- Lot No.**-12194-SLR-F1-JBP-YPR-26-1,**Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए। **Auction End**-22.07.2026 (14:10 hrs.), **क्र.सं.6- Lot No.**-12187-SLR-F1-JBP-NZM-26-2,**Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए।**Auction End**-22.07.2026 (14:20 hrs.), **क्र.सं.7- Lot No.**-12186-SLR-F1-REWA-RKMP-26-1,**Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए।**Auction End**-22.07.2026 (14:30 hrs.), **क्र.सं.8- Lot No.**-12062-SLR-F1-MML-RKMP-26-1, **Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए। **Auction End**-22.07.2026 (14:40 hrs.), **क्र.सं.9- Lot No.**-11651-SLR-F1-JBP-SGRL-26-1, **Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए। **Auction End**-22.07.2026 (14:50 hrs.), **क्र.सं.10- Lot No.**-11754-SLR-F1-REWA-NITR-26-1, **Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए। **Auction End**-22.07.2026 (15:00 hrs.), **क्र.सं.11- Lot No.**-22181-SLR-F1-JBP-CSMT-26-2, **Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए।**Auction End**-22.07.2026 (15:10 hrs.), **क्र.सं.12- Lot No.**-15206-SLR-F1-JBP-LJN-26-1, **Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए। **Auction End**-22.07.2026 (15:20 hrs.), **क्र.सं.13- Lot No.**-11447-11448-VP-1-JBP-HWH-26-2, **Assets Details**-पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्षो के लिए। **Auction End**-22.07.2026 (15:30 hrs.) संभावित वोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर E-Auction Leasing मॉड्यूल देखें। लॉट-वार विवरण उपर्युक्त कैटलॉग के तहत उपलब्ध हैं । ई-बोली सूचना मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

(हस्ता.)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
आंचलिक कार्यालयः एमआईजी-15, राजेश्वर बिल्डिंग, शिव नगर, दमोह रोड, जबलपुर- 482002
Email: jabalpur.ard@bankofindia.co.in

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई- नीलामी विक्रय सूचना

ई- नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई- नीलामी विक्रय सूचना

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई- नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और जमानतदार को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित हैं, का प्रतीकात्मक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदार से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु दिनांक 28.07.2026 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 28/07/2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक चलेगी।

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार (2)	संपत्तियों का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (6)	ईएमडी (7)
शाखा : सुहागी	ऋणी / बंधककर्ता - अनूप सिंह गोंड पिता श्री सुखलाल गोंड निवासी 3301, शंकर नगर, सुदर्शन वार्ड, बड़ा पत्थर, रांझी, मानेंगांव, खमरिया, जबलपुर	संपत्ति स्थित प्लॉट नं. 15, खसरा नं. 17/1 एवं 36/1 का भाग नं.बं. 302, प.ह.नं. 15/49 मौजा ग्राम झुरझुरू, तह. पनागर जिला जबलपुर प्लॉट एरिया 30 X 40 कुल क्षेत्रफल 1200 व.फु. चर्तुसीमा पूर्व : प्लॉट नं.16, पश्चिम : प्लॉट नं.14, उत्तर : साइड रोड, दक्षिण : प्लॉट नं.28 संपत्ति स्वामी श्री अनूप गोंड	10.08.2018 ₹ 14,15,411.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च	26.11.2018 सांकेतिक	₹ 11,55,000 Lacs	₹ 1,15,500 Lacs

सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात ऋणभार का विवरण : ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें- 1. नीलामी बिक्री/बोली केवल वेबसाइट **https:baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
2. यदि आवश्यक हुआ तो 10-10 मिनट का असीमित विस्तार किया जाएगा। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर शुरू होगी और बोलीदाताओं को उपरोक्त सभी संपत्तियों के लिए 10,000 रूपये गुणक में अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा। बिक्री आरक्षित मूल्य पर या उससे कम पर नहीं होगी।
3. बिक्री प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। उन्हें नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति(यों) से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में अपनी जांच करनी होगी। संपत्तियां सभी मौजूदा और भविष्य की देनदारियों के साथ बेची जा रही हैं, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकारों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
5. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
6. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली या किसी भी बोली या किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने और बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने और माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई- नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https:baanknet.com, www.bankofindia.co.in** देखें, या संपर्क करें: **श्री रविकांत शुक्ला** मुख्य प्रबंधक ए.आर.डी., जबलपुर झोन (मोबा. नं. **7985276357**)
8. यह प्रकाशन उपर्युक्त उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिए 15/30 दिनों का नोटिस भी है।
9. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रू. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म 26QB ऑनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म 16 B में जारी करना होगा। खरीददार को सरकारी खाते में आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

दिनांकः 10.07.2026 , स्थानः जबलपुर **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**